14-5-18 प्रावली वादी के समक्ष आमलुए पढ़ी गई
प्रार्थीगण मय वकील हाजिर हैं अप्रार्थी
6, 8, 9, 10, 11, 12 मय उपस्थित / उपस्थित
[illegible] मय उपस्थित / मय वकील
मुए गए व प्रावली का अवलोकन किया
गया / ~~[illegible]~~ मृतिया लाल
मृत्यु प्रमाण पत्र प्रावली पर उपलब्ध है
जिसके अनुसार मृतिया लाल की
मृत्यु दिनांक 30-10-15 को होना दिखाया
है तथा उक्त डिक्री दिनांक 26-5-17 को
पारित की गई है नकल कुर्क पत्र पर
नाम व हस्ताक्षर लिखित आपत्ति पेश
की थी तथा अंकित किया गया कि नकल
कुर्क पत्र ~~[illegible]~~ मौके के कब्जे का उपलब्ध
नहीं बताया है तथा मकान बरामद कुर्क
नहीं किया गया दर्शाया है। वादीगण को
इसका सम्मन है। दफा 5 समयावधि अधिनियम
पर खुला गया। डिक्री व फैसला मर हुए
व्यक्ति के विरुद्ध है तथा प्रार्थीगण को
डिक्री व फैसला व वाद की जानकारी न
होना तथा उक्त डिक्री व फैसला को रद्द
प्रथम जानकारी दिनांक 30-5-17 को होना

मोहनलाल

बासरदेव

हरदेव

राम

विनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

अंकित किया है एवं मुकदमा इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादिगण को पक्षकार अपीलार्थी का विरोध नहीं किया है क्योंकि वादिनी ने उक्त प्रो.नो. स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। इसलिये वादिनी व सा.प्र. स्वीकार कर विद्युत प्रो.नो. व डिक्री मंजूरी पर सुनाया गया। वादिगण को उक्त प्रो.नो. विद्युत में मंजूरी स्वीकार करने के कोई आपत्ति न होने से उन्हें उक्त डिक्री पारित होने व मौके के कब्जे के विवादित नहीं होने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि डिक्री व निर्णय 26-5-17 मंजूर को जाने योग्य है। इसलिये प्रतिवादिगण को दि. 9-5-18 तक विद्युत में मंजूर किये गये डिक्री व मालिकाना परिसर को पृथक कराने का स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री मंजूर किया जाता है। मूल्यांकन का है मूल्यांकनी नहीं होने शीर्षक के निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु नस्तीबद्ध पत्रावली को प्राथमिक डिक्री के प्रति निवारण हेतु ~~दिनांक~~ मूल्यांकनी में ~~लिये~~ प्रेषित उचित नम्बर दर्ज कर कार्यवाही फाइल के अन्तिम मजमून में रखा। पत्रावली मूल मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो।